सुरक्षा, शांति और समृद्धि

सजग भारत

1-31 अगस्त, 2024 ◂ वर्ष : 2 ◂ अंक : 9/10 (संयुक्तांक)

निःशुल्क प्रति

विकास और नवाचार के साथ

देश को आगे ले जाने का संकल्प

देशभक्ति की अभिव्यक्ति का प्रतीक है 'हर घर तिरंगा' अभियान

बजट में बढ़ोतरी से मजबूत होगी राष्ट्रीय सुरक्षा

अनुक्रमणिका

देशभक्ति की अभिव्यक्ति का प्रतीक है 'हर घर तिरंगा' अभियान 09
देशवासियों की आशा, आकांक्षा व विश्वास पूर्ति के संकल्प... 14
जम्मू-कश्मीर में प्रयास के साथ हो रही प्रगति 18
उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कार 19
विकसित व समृद्ध लद्दाख के निर्माण के विजन को साकार करने... 20
सुरक्षा के लिए संकल्पित है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो 21
नए आपराधिक कानूनों से चलने वाला क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम... 22
पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी भी और कर्तव्य भी 24
पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में बीपीआरएंडडी... 26
राष्ट्रीय प्रगति के लिए विकास और देश प्रेम 29
गेस्ट कॉलम 30

विशेष रिपोर्ट

05 विकास और नवाचार के साथ देश को आगे...
11 बजट में बढ़ोतरी से मजबूत होगी राष्ट्रीय सुरक्षा
16 नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत शरणार्थियों को मिली नागरिकता

संपादक की कलम से...

भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा में 2024-25 का आम बजट एक परिवर्तनकारी कदम है। यह बजट बुनियादी ढांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा पहल आदि से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक, विभिन्न क्षेत्रों में एक व्यापक सोच का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, उन्होंने जोर देकर कहा कि सामूहिक प्रयास से भारत वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा।

इसी सोच के अनुरूप, आम बजट केवल एक वित्तीय वक्तव्य नहीं है; बल्कि व्यापक विकास के लिए एक खाका है। इसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाना है। विशेषकर गांवों, हाशिए पर खड़े लोगों और किसानों के लिए समृद्धि के अवसर पैदा करके भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह बजट शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसरों के माध्यम से नव-मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाला है।

> आंतरिक सुरक्षा राष्ट्रीय स्थिरता की नींव और विकासात्मक प्रगति के लिए जरूरी है। बीते एक दशक में, केंद्र सरकार ने सुरक्षा से संबंधित अवसंरचना के संवर्धन को निरंतर प्राथमिकता दी है और बलों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है।

केंद्र सरकार की बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति प्रतिबद्धता अडिग है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए पर्याप्त पूंजीगत व्यय की योजना बनाई गई है। इस निवेश से आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलने और समावेशी विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार होने की पूरी उम्मीद है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में, बजट न केवल आर्थिक और सामाजिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है।

आंतरिक सुरक्षा राष्ट्रीय स्थिरता और विकासात्मक प्रगति की नींव है। पिछले दशक में, केंद्र सरकार ने लगातार सुरक्षा से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और बलों के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी है। इस वर्ष के बजट में इन प्रयासों को दशार्ते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को ₹2,19,643.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने और बदलती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए समर्पित है।

बजट, सरकार की प्रमुख कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को भी दशार्ता है। उदाहरण के लिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जो भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, को ₹951.46 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह इसके प्रशिक्षण केंद्रों के आधुनिकीकरण, तकनीकी और फोरेंसिक सहायता इकाइयों की स्थापना और नए सुविधाओं के विकास के लिए है। इसी प्रकार, आसूचना ब्यूरो , जो आंतरिक सुरक्षा और खुफिया जानकारी जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, को ₹3,823.83 करोड़ प्राप्त होंगे। पुलिस बलों की क्षमता निर्माण के लिए पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से ₹1,348.35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, फोरेंसिक ढांचे को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता बजट में ₹285 करोड़ के आवंटन से स्पष्ट है, जो हाल ही में स्वीकृत ₹2,254.43 करोड़ के राष्ट्रीय फोरेंसिक बुनियादी ढांचा संवर्धन योजना के अतिरिक्त है।

'सजग भारत' के इस अंक में आम बजट 2024-25 पर चर्चा की गई है, जो न केवल तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में भी मार्ग प्रशस्त करता है, ताकि एक सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव हो सके।

अपने विचार और प्रतिक्रिया हमसे साझा करते रहें। हमारा ईमेल है-sajag-bharat@bprd.nic.in

जय हिंद,
राजीव कुमार शर्मा
महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

The #BudgetForViksitBharat ensures inclusive growth, benefiting every segment of society and paving the way for a developed India.

Shri Narendra Modi
Prime Minister

'पीएम आवास योजना' करोड़ों गरीबों के अपने घर के सपने को साकार कर रही है। आज बजट में इस योजना को और विस्तार देते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गयी। साथ ही, औद्योगिक कामगारों के लिए डोरमेट्री जैसे आवास वाले किराए के मकानों की सुविधा के प्रावधान के निर्णय से गरीबों, मध्यम वर्गीय परिवारों व श्रमिकों के जीवन को सहारा मिलने वाला है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

देश के इस दूरदर्शी बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन। सरकार ने इस बजट में भारत के गांव, किसान, नौजवान, गरीब को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का पूरा ब्लू प्रिंट प्लान देश के सामने रख दिया है।

श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

The Budget 2024-25 presented by Hon'ble FM Smt Nirmala Sitharaman Ji under the visionary leadership of Hon'ble PM Shri Narendra Modi Ji is a testament to Bharat's rise as a global economic powerhouse. It focuses on empowering our youth, Nari Shakti and farmers, driving the nation towards rapid development with new employment opportunities and economic growth. The budget also simplifies tax assessment rules, providing relief to taxpayers and boosting entrepreneurial spirit.

Shri Bandi Sanjay Kumar
Minister of State for Home Affairs

India is becoming 'Aatmanirbhar' in defence & emerging as a global manufacturing hub: Prime Minister @narendramodi during his #IndependenceDay2024 address. India was earlier a victim of terror attacks, today it is strong & bold; Armed Forces give a befitting reply to anyone who tries to harm us, says the PM.

Ministry of Home Affairs
Government of India

विकास और नवाचार के साथ

देश को आगे ले जाने का संकल्प

सुधारों से समाधान का रास्ता निकलता है, यह एक सिद्धांत है जो समाज, अर्थव्यवस्था, और राजनीति में व्यापक रूप से लागू होता है। सुधारों का मतलब केवल नीतियों या प्रक्रियाओं में बदलाव नहीं होता, बल्कि यह एक दृष्टिकोण है, जो जटिल समस्याओं के स्थायी समाधान की ओर ले जाता है।

ब्यूरो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश के नाम अपने संबोधन में 'राष्ट्र प्रथम' की अपनी प्रतिबद्धता को आगे रखते हुए पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार की नीति और उससे प्राप्त उपलब्धियों का विशेष रूप से उल्लेख किया। लगातार 11वीं बार लाल किले से अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए काम किया, जिसका लाभ आज वंचित समाज ले रहा है। उनकी सरकार ने राजनीतिक लाभ न देखते हुए भविष्य से जुड़े सुधार किए। इसी का परिणाम है कि आज सरकार खुद लाभार्थी तक

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों का अभिवादन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी।

> **विकसित भारत 2047, ये सिर्फ भाषण के शब्द नहीं हैं, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। देशवासियों का ये भरोसा सिर्फ कोई बौद्धिक बहस नहीं है, ये भरोसा अनुभव से निकला हुआ है।**
>
> **श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री**

पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के 'विजन' को आगे रखा और देशवासियों को जाति, धर्म के दायरों से ऊपर उठकर देश की प्रगति में योगदान देने की अपील की।

बदलाव के लिए सुधार का मार्ग

प्रधानमंत्री ने तीसरी बार उनकी सरकार को चुनने के लिए जनता का धन्यवाद दिया और कहा कि वे समाज की शक्ति को लेकर विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 'विकसित भारत-2047' सिर्फ भाषण के शब्द नहीं हैं। इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है, देश के कोटि-कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं। हमने बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे हैं। गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, वंचित हो, हमारे नौजवानों के संकल्प और सपने हों या हमारी बढ़ती हुई शहरी आबादी हो, इन सभी के जीवन में बदलाव लाने के लिए हमने रिफॉर्म का मार्ग चुना। वे आज कह सकते हैं कि रिफार्म का हमारा मार्ग आज ग्रोथ का ब्लूप्रिंट बना हुआ है। शासन प्रशासन के हर स्तर पर सुधार की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने इसके लिए लक्ष्य तय करने को कहा। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन की हर इकाई में सिर्फ दो रिफॉर्म करें। पंचायत स्तर पर भी यही हो। ऐसा करेंगे तो देखते ही देखते लाखों सुधार हो जाएंगे। फिर आम जीवन आसान हो जाएगा। ऐसा हो तो हमारे देश का नौजवान नई ऊंचाइयों को छुएगा।

महिला अपराध करने वालों को जल्द व कड़ी सजा मिले

श्री नरेन्द्र मोदी ने लालकिले की प्रचीर से महिलाओं के साथ अत्याचार की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसे पाप करने वालों में डर पैदा करना बेहद जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच बिना किसी देरी के की जानी चाहिए। साथ ही ऐसे अपराधों पर प्रथम दृष्टया मामला दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि सरकार और न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े। उन्होंने कहा कि देश, समाज, राज्य सरकारों को इसे गंभीरता से लेना होगा। इन राक्षसी कृत्यों को अंजाम देने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले-यह समाज में विश्वास पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

लाल किले पर 78वें स्वतंत्रता दिवस की झलकियां

नेक नीयत से जीतेंगे बदनीयत वालों को

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने भाषण में भीतर और बाहर की चुनौतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कुछ निराशावादी तत्वों की गोद में बैठी विकृति विनाश के सपने देख रही है। देश को इन्हें समझना होगा। साथ ही विश्व की शक्तियों को भी समझना होगा कि भारत का विकास किसी के लिए संकट नहीं है। यह शक्तियां संकट पैदा करने वाली तरकीबों से न जुड़े ताकि भारत को आगे निकलने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़े। हम बदनीयत वालों को नेक नीयत से जीतेंगे।

धर्मनिरपेक्ष सिविल कोड का उल्लेख

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक समान नागरिक संहिता पर जोर देते हुए कहा कि संविधान निर्माताओं ने इसका सपना देखा था और हमें इसे पूरा करना होगा। देश को सांप्रदायिक सिविल कोड के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष सिविल कोड की ओर जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट भी अगल-अलग नागरिक संहिता पर चिंता व्यक्त कर चुका है। देश को इस पर व्यापक चर्चा करनी होगी। धर्म के आधार पर देश को बांटने वाले कानूनों का देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

पांच वर्ष में 75 हजार मेडिकल की नई सीटें

प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि देश के युवा को विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई न करनी पड़े इसके लिए उनकी सरकार अगले पांच वर्षों में 75 हजार नई मेडिकल सीटें तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय युवा के कौशल विकास पर भारत सरकार विशेष ध्यान दे रही है। उन्हें आश्चर्य होता कि भारतीय युवा मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कैसे-कैसे देशों में जाते हैं। भारत सरकार चाहती है कि युवाओं को भारत में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।

खेल को प्राथमिकता

प्रधानमंत्री ने उन युवा एथलीटों को बधाई दी जिन्होंने वैश्विक ओलंपिक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने उनकी उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने पेरिस में पैरालिंपिक में भारत की भागीदारी पर भी प्रकाश डाला, साथ ही भारतीय पैरालंपिक प्रतिनिधिमंडल को दृढ़ संकल्प और प्रयास के साथ नए लक्ष्यों के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खेलों को प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता की बात कही और घोषणा की कि देश 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है।

अपने भाषण के अंत में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर चुनावी सुधार के अपने आग्रह को दोहराया। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव के लिए सभी दलों को आगे आना चाहिए। हर बार कोई योजना लाई जाती है तो उसे किसी चुनाव से जोड़ कर देखा जाता है। ऐसे में हर विषय का राजनीतिकरण होता है। अलग-अलग समय पर होने वाले चुनावों से देश का बहुत सा संसाधन नष्ट होता है।

प्रधानमंत्री के संबोधन के मुख्य बिंदु

- **जीवन की सुगमता मिशन:** प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मिशन मोड पर 'ईज आफ लिविंग' यानी जीवन की सुगमता को पूरा करने के अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया। उन्होंने एक व्यवस्थित आकलन और बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं में सुधार के जरिये शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने की बात कही।
- **नालंदा का पुनरुद्धार:** उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देते हुए भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की भावना को पुनर्जीवित करने की बात प्रधानमंत्री ने कही। यह 2024 में नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर आधारित है।
- **मेड इन इंडिया चिप-सेमीकंडक्टर उत्पादन:** सेमीकंडक्टर उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता घटाना और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है।
- **स्किल इंडिया:** बजट 2024 का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत के युवाओं को प्रशिक्षित करने और भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाने के लिए सरकार द्वारा घोषित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला।
- **'भारत में डिजाइन, दुनिया के लिए डिजाइन':** भाषण में स्वदेशी डिजाइन क्षमताओं की सराहना की गई और प्रधानमंत्री ने ऐसे उत्पाद बनाने का आग्रह किया जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतों को पूरा कर सकें।
- **वैश्विक गेमिंग बाजार में अग्रणी:** भारत को मेड इन इंडिया गेमिंग उत्पाद बनाने के लिए अपनी समृद्ध प्राचीन विरासत और साहित्य का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारतीय पेशेवरों को न केवल खेलने में बल्कि गेम बनाने में भी वैश्विक गेमिंग बाजार का नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय गेम्स को दुनिया भर में अपनी पहचान बनानी चाहिए।
- **हरित रोजगार एवं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन:** जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों में हरित रोजगार के महत्व पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश अब हरित विकास और हरित रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इससे पर्यावरण संरक्षण में योगदान के साथ-साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने और पर्यावरण संरक्षण एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्र में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।
- **औद्योगिक विनिर्माण का केंद्र:** प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के व्यापक संसाधनों और कुशल कार्यबल का लाभ उठाते हुए भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की।
- **स्वस्थ भारत मिशन:** अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को 'स्वस्थ भारत' की राह पर चलना चाहिए, जिसकी शुरूआत राष्ट्रीय पोषण अभियान के उद्घाटन के साथ हो चुकी है।
- **राज्य स्तर पर निवेश प्रतियोगिता:** प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे निवेश आकर्षित करने, सुशासन का आश्वासन देने और कानून-व्यवस्था की स्थिति में विश्वास बहाली के लिए स्पष्ट नीतियां बनाएं।
- **वैश्विक मानक के तौर पर भारतीय मानक:** भारत की पहचान गुणवत्ता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के लिए होनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानक बनने की आकांक्षा रखनी चाहिए।
- **जलवायु परिवर्तन लक्ष्य:** प्रधानमंत्री ने 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत जी20 देशों के बीच पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने वाला एकमात्र देश है।

देशभक्ति की अभिव्यक्ति का प्रतीक है 'हर घर तिरंगा' अभियान

ब्यूरो

'हर घर तिरंगा' अभियान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ-साथ राष्ट्र को सर्वोपरि रखने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का संकल्प है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 13 अगस्त को अहमदाबाद नगर निगम द्वारा आयोजित 'तिरंगा यात्रा' में भाग लिया। इस आयोजन में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि 'हर घर तिरंगा' अभियान देशभक्ति की अभिव्यक्ति का प्रतीक बन गया है और 2047 तक विकसित भारत बनाने की शपथ है। उन्होंने कहा कि यह अभियान न केवल गुजरात, बल्कि पूरे देश को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। श्री शाह ने इस आयोजन को उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का अवसर भी बताया जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता के 78वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं और इस अवसर पर गुजरात का एक भी घर या कार्यालय ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां तिरंगा न फहरा रहा हो। उन्होंने कहा कि ये तिरंगा यात्रा इसीलिए शुरू की गई है कि सम्पूर्ण देश तिरंगामय बने और इसके माध्यम से गुजरात और देश के हर नागरिक के मन में देशभक्ति की भावना जागृत हो।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया तब उसके पीछे तीन लक्ष्य थे। पहला, देश के हर बच्चे, युवा और नागरिक को आजादी की लड़ाई के सम्पूर्ण इतिहास की पुनःस्मृति कराना। दूसरा, आजादी के 75 वर्ष में देश द्वारा प्राप्त की गई सिद्धियों की सभी नागरिकों, विशेषकर युवा पीढ़ी, को जानकारी देना। तीसरा, आजादी की शताब्दी तक के आगामी 25 वर्षों के अमृतकाल में देश के 140 करोड़ नागरिकों को देश के विकास के साथ जुड़कर भारत को पूरे विश्व में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम बनाने का संकल्प लेना।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव की समाप्ति के बाद अमृतकाल में देश को सर्वप्रथम बनाने के संकल्प को याद दिलाने के लिए ही हर वर्ष हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर हम देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले अनगिनत शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि हम सबको अपने घर, दफ्तर, कारखाने आदि पर तिरंगा लगाकर और

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह अहमदाबाद में आयोजित 'तिरंगा यात्रा' में शामिल हुए।

उसके साथ सेल्फी लेकर इस अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने और एक पूर्ण रूप से विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ हम सबको जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में खादी का उपयोग बढ़ाने और उसके माध्यम से इसका व्यापार बढ़ाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि हमें खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन और हर घर तिरंगा, हर घर खादी के सूत्र को चरितार्थ करना है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुसार 2047 में देश को पूर्ण विकसित बनाने के संकल्प की प्राप्ति के लिए देश के युवाओं को विशेष रूप से आगे आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज यहां दूर-दूर तक हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा देखकर ये लग रहा है कि पूरा देश इस संकल्प के साथ जुड़कर देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत है।

गृह मंत्री ने देशवासियों से की अपील

78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का संबोधन विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में सरकार के संकल्प का प्रतिबिंब है। रिन्यूएबल एनर्जी से आत्मनिर्भरता, One Nation – One Election, UCC, मेडिकल शिक्षा का विस्तार, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और 'डिजाइन इन इंडिया' और SHG से नारी सशक्तीकरण, जैसे विषयों पर प्रकाश डालता मोदी जी का यह उद्बोधन बीते 10 सालों की सफलताओं से प्रेरित होकर देश को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि इस संबोधन को सुन एक मजबूत भारत के निर्माण का संकल्प लें।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के दौरान नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी भी साझा की। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के माध्यम से श्री अमित शाह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले आकाश में फहराते करोड़ों तिरंगे भारत को फिर से महान बनाने की देश की संयुक्त इच्छाशक्ति का प्रतीक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया 'हर घर तिरंगा' अभियान देशभर में चल रहा है। उन्होंने भारत के सभी नागरिकों से निवेदन करते हुए कहा कि वे भी अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएं और अपनी सेल्फी harghartiranga.com पर अपलोड करें। उन्होंने सभी से अपने साथी नागरिकों को भी इसके लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया।

देश ने विभाजन की पीड़ा को किया याद

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 14 अगस्त को भारत के विभाजन से प्रभावित लाखों लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जो 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के अवसर पर आयोजित किया गया। यह दिन, जो हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है, देश के विभाजन के दौरान 1947 में हुए मानवीय कष्टों, विस्थापन, और नुकसान की मर्मस्पर्शी याद दिलाता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन अनगिनत लोगों को याद करते हैं जो विभाजन की विभीषिका के कारण प्रभावित हुए और असहनीय कष्ट झेलने पड़े। यह दिन उनके साहस को श्रद्धांजलि देने का भी है, जो मानव सहनशीलता की शक्ति को प्रदर्शित करता है।' श्री मोदी ने अपनी सरकार की एकता के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भी विभाजन के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की, और

प्रभावित लोगों द्वारा अनुभव की गई गहरी पीड़ा और अस्थिरता को स्वीकार किया। उन्होंने एक्स पर लिखा,'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मेरी श्रद्धांजलि उन करोड़ों लोगों को, जिन्होंने हमारे इतिहास के इस सबसे भयानक अध्याय में अमानवीय कष्ट सहे, अपने जीवन गंवाए बेघर हो गए।'

बजट में बढ़ोतरी से मजबूत होगी राष्ट्रीय सुरक्षा

विकसित भारत 2047 के लिए जरूरी है कि हर नागरिक सामर्थ्यवान हो। देश की सीमाएं सुरक्षित रहें। आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी सभी कारक समय के अनुरूप अपडेट हों। एक भी व्यक्ति छूट न जाए, इसी मंत्र को साकार करते हुए आम बजट में सभी की चिंता की गई। सभी के लिए संसाधन मुहैया कराया गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहित सुरक्षा एजेंसियों को विशेष महत्व दिया गया है।

ब्यूरो

मजबूत आंतरिक सुरक्षा राष्ट्रीय स्थिरता और प्रगति की नींव है, और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने लगातार इस महत्वपूर्ण पहलू को प्राथमिकता दी है। पिछले 10 वर्षों के केंद्रीय बजट की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा, सीमा क्षेत्रों में बढ़ी हुई सतर्कता और बुनियादी ढांचे के विकास को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में रखा है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह, इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित हैं। वे सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से पहल कर रहे हैं। इस प्रतिबद्धता की झलक केंद्रीय बजट 2024-25 में दिखाई देती है, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को प्रस्तुत किया, जहां गृह मंत्रालय के लिए वित्तीय आवंटन में वृद्धि पर जोर दिया गया।

इस बजट में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों , केंद्र शासित प्रदेशों, आपदा प्रबंधन और 'वाइब्रेंट विलेज' कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है, जो आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और विकास प्रयासों पर केंद्र सरकार के ध्यान को रेखांकित करता है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस बजट में कुल ₹2,19,643.31 करोड़ आवंटित किए गए हैं। यह आवंटन 1 फरवरी को प्रस्तुत अंतरिम बजट में ₹2,02,868.70 करोड़ की राशि से अधिक है, जो गृह मंत्रालय के लिए बढ़ती प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

इस वर्ष के केंद्रीय गृह मंत्रालय के बजट आवंटन का सबसे बड़ा हिस्सा—₹1,43,275.90 करोड़—केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), केंद्रीय पुलिस संगठनों (CPOs) और खुफिया एजेंसियों

केंद्रीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश होने से पहले ।

के लिए निर्धारित किया गया है। इस बढ़े हुए वित्तीय आवंटन का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों, उग्रवाद प्रबंधन, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है।

केवल CAPFs के लिए ₹96,950.12 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। यह आवंटन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), सीमा सुरक्षा बल (BSF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल (SSB) और इन बलों से जुड़े विभागीय लेखा संगठनों के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया है। यह निधि मशीनरी, उपकरण और मोटर वाहनों की खरीद के लिए भी उपयोग की जाएगी।

एजेंसियों को सुदृढ़ करना

केंद्रीय बजट में खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय आवंटन किया गया है। आसूचना ब्यूरो (IB) को इसके प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए ₹3,823.83 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जबकि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) को आतंकवाद से निपटने और आंतरिक सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के लिए डेटाबेस को जोड़ने की अपनी क्षमता को बढ़ाने हेतु ₹198.53 करोड़ मिले हैं। इसके अलावा, विशेष सुरक्षा समूह (SPG), जो भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य विशेष सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, को ₹506.32 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

केंद्रीय बजट ने देश की शीर्ष जांच एजेंसी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), को ₹951.46 करोड़ भी आवंटित किए हैं। इस राशि का उपयोग केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रशिक्षण केंद्रों के आधुनिकीकरण, तकनीकी और फोरेंसिक सहायता इकाइयों की स्थापना और एजेंसी के कार्यालयों और आवासीय भवनों के अधिग्रहण या निर्माण के लिए किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और राष्ट्रीय जांच एजेंसी सहित केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रशासनिक कार्यों और उनकी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ₹1,506.37 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। ये रणनीतिक आवंटन भारत के प्रमुख क्षेत्रों और एजेंसियों में कानून प्रवर्तन को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए हैं।

कानून प्रवर्तन को सशक्त बनाना

कानून प्रवर्तन और सार्वजनिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु कई पुलिस बलों को प्रचुर धनराशि आवंटित की गई है। दिल्ली पुलिस को ₹11,180.33 करोड़ और जम्मू-कश्मीर पुलिस को ₹9,789.42 करोड़ दिए गए हैं। यह फंड नियमित परिचालन खर्चों को कवर करने के साथ ही इन पहलों का भी समर्थन करेगा। ये हैं आधुनिक ट्रैफिक सिस्टम का विकास, संचार अवसंरचना का विस्तार, प्रशिक्षण सुविधाओं का उन्नयन और नवीनतम प्रौद्योगिकी का समावेश।

सशक्त सुरक्षा बुनियादी ढांचा

सीमा सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसे बजट में महत्वपूर्ण आवंटनों के रूप में देखा जा सकता है। सीमा बुनियादी ढांचा और प्रबंधन के लिए कुल ₹3,756.51 करोड़ निर्धारित किए गए हैं, जिसमें सीमा कार्यों के रखरखाव, कंटीली तार की बाड़ लगाने, सड़कों के निर्माण, निगरानी चौकियों और बाढ़ रोशनी की स्थापना का प्रावधान शामिल है। इसमें भारत-बांग्लादेश और भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर उच्च तकनीक की निगरानी प्रणाली का समावेश, अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए तटीय क्षेत्रों में मोबाइल चेक पोस्ट की स्थापना और सीमा चौकियों के निर्माण का प्रावधान भी है।

इसके अतिरिक्त, पुलिस बुनियादी ढांचे के लिए ₹3,152.36 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों , केंद्रीय पुलिस संगठनों, आसूचना ब्यूरो, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो,

नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य आंतरिक सुरक्षा से जुड़े प्रमुख संगठनों के कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाएंगे।

महिलाओं की सुरक्षा

महिलाओं की सुरक्षा प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, जिसका प्रमाण इस वर्ष के बजट में विभिन्न योजनाओं के लिए ₹1,105 करोड़ का आवंटन है। यह आवंटन निर्भया फंड और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकने, महिला हेल्पडेस्क की स्थापना, मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को सशक्त बनाने और आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली जैसी पहलों के लिए है। इसके अलावा, यह आवंटन केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करने, एक राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटा सेंटर स्थापित करने और फोरेंसिक क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए भी उपयोग किया जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक समर्पित विभाग है, जो राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ मिलकर यौन उत्पीड़न के मामलों की समय पर जांच सुनिश्चित करता है और आपराधिक जांचों में फोरेंसिक विज्ञान की भूमिका को मजबूत करता है।

निर्भया फंड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में, सुरक्षित शहर परियोजना वर्तमान में आठ शहरों—अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई—में लागू की जा रही है। ये परियोजनाएं महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग करती हैं, जिसमें ड्रोन का उपयोग, आपराधिक गतिविधियों की सूचना देने के लिए सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, अंधेरे गलियों और अपराध के हॉटस्पॉट को रोशन करने के लिए स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम, और गूगल मैप्स पर आसानी से स्थित महिलाओं के शौचालय शामिल हैं।

आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता

आपदा-प्रतिरोधी भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने श्री शाह के नेतृत्व में देश की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने हेतु कई योजनाओं की शुरूआत की गई है। इस वर्ष के बजट में आपदा जोखिम में गिरावट को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के लिए ₹1,606.95 करोड़ और आपदा प्रबंधन योजनाओं के लिए ₹288.63 करोड़ आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं को संभालने के लिए एक अत्यंत कुशल बल है। यह बल आपदा पूर्व चेतावनी, रोकथाम और तैयारियों में सरकार के बढ़े हुए फोकस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये फंड आपदा प्रतिक्रिया संचालन और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों को मजबूत करेंगे।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को कितना बजट मिला

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	: ₹31,543.20 करोड़
सीमा सुरक्षा बल	: ₹25,472.44 करोड़
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	: ₹14,331.89 करोड़
भारत तिब्बत सीमा पुलिस	: ₹8634.21 करोड़
सशस्त्र सीमा बल	: ₹8881.81 करोड़
असम राइफल्स	: ₹7428.33 करोड़
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	: ₹1273.19 करोड़

अन्य मुख्य आवंटन

आसूचना ब्यूरो	₹3,823.83 करोड़
नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड	₹198.53 करोड़
विशेष सुरक्षा समूह	₹506.32 करोड़
दिल्ली पुलिस	₹11,180.33 करोड़
जम्मू-कश्मीर पुलिस	₹9,789.42 करोड़
केंद्रीय पुलिस संगठन	₹1,506.37 करोड़
अपराध विज्ञान/फोरेंसिक विज्ञान	₹84.87 करोड़
सीमा अवसंरचना एवं प्रबंधन	₹3,756.51 करोड़
पुलिस अवसंरचना	₹3,152.36 करोड़
महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजनाएं	₹1,105.00 करोड़
फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना	₹150.00 करोड़
फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी	₹80.00 करोड़

कोई रह न जाए पीछे

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 'विकसित भारत' के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण पेश किया, जो नौ प्रमुख प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। इन प्राथमिकताओं में कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, निर्माण और सेवाओं में प्रगति, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास, और अगले पीढ़ी के सुधार शामिल हैं।

संघ और राज्य सरकारों द्वारा पूंजी व्यय बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण में महत्वपूर्ण बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 21 से 24 तक, संघ सरकार का पूंजी व्यय 2.2 गुना बढ़ा, जबकि राज्यों का पूंजी व्यय 2.1 गुना बढ़ा है।■

देशवासियों की आशा, आकांक्षा व विश्वास पूर्ति के संकल्प का प्रतिबिम्ब है बजट 2024-25

- जनहितैषी और विकास हितैषी बजट
- यह बजट देश के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देने की मोदी जी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है
- नारी शक्ति के सामर्थ्य व हौसले को बढ़ावा देना
- एमएसएमई क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करेगा

ब्यूरो

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में समाज के हर वर्ग के कल्याण की बात को केंद्र में रखा गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय बजट देश की आर्थिक स्थिति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह बजट व्यापार करने में आसान और उद्यमिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ प्रतिबद्धता का उदाहरण है।

23 जुलाई को संसद में आम बजट पेश होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्री शाह ने लिखा है कि यह बजट युवाओं, महिलाओं और किसानों की शक्ति का उपयोग करते हुए रोजगार और अवसरों के एक नए युग की शुरुआत करके एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने की राह पर देश की आगे ले जाएगा। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण को धन्यवाद ज्ञापित किया।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने कहा, 'पीएम आवास योजना करोड़ों गरीबों के अपने घर के सपने को साकार कर रही है। आज बजट में इस योजना को और विस्तार देते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई। साथ ही, औद्योगिक कामगारों के लिए डोरमेट्री जैसे आवास वाले किराए के मकानों की सुविधा के प्रावधान के निर्णय से गरीबों, मध्यम वर्गीय परिवारों व श्रमिकों के जीवन को सहारा मिलने वाला है।

इसमें कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ₹1.52 लाख करोड़ की घोषणा की गई। इस बजट में 1 करोड़ किसानों को

बजट 2024-25 बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक व्यापक पहल के साथ इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है। बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए राज्यों को ₹11,11,111 करोड़ का आवंटन और ₹1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे से लैस भारत का निर्माण करेगा और लाखों नौकरियां पैदा करेगा।

श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

प्राकृतिक कृषि के लिए सर्टिफाई करने, 10 हजार बायो-इनपुट सेंटर्स की स्थापना, कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, 400 जिलों में खरीफ फसलों का क्रॉप सर्वे और तिलहनों के लिए एक कार्यनीति का निर्माण जैसे निर्णय लिए गए। इससे कृषि क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। देशवासियों के आय से लेकर आवास तक की सुविधा का ध्यान रखने वाले इस कल्याणकारी बजट के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सहकारी क्षेत्र का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। इस बजट में 'राष्ट्रीय सहकारी नीति' के निर्माण की घोषणा, देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को मजबूत करने का काम करेगी। साथ ही, मत्स्य सहकारिता को झींगा की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से वित्तपोषण की सुविधा से नई गति मिलेगी।

इस बजट में केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत देकर उनके सपनों को नया विस्तार दिया है। टैक्स में छूट हो या उसके नियमों को आसान करना हो, 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास देना हो या कैंसर के मरीजों को दवाओं में राहत देने का निर्णय हो, यह बजट आम आदमी के जीवन को और भी आसान बनाने वाला है।

रोजगार बढ़ाने की योजनाओं का स्वागत करते हुए, श्री शाह ने कहा कि ऋण गारंटी सहित व्यापक योजनाओं के साथ यह बजट आत्मनिर्भरता और समृद्धि के एक नए युग की पटकथा लिख रहा है। बजट में प्रधानमंत्री के 5 योजनाओं और पहलों के हिस्से के रूप में 'रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन' के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की गई है ताकि 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास की सुविधा प्रदान की जा सके। इसके लिए ₹2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस बजट में बाढ़ प्रभावित राज्यों का भी ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम जैसे राज्यों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। इसके लिए कोसी-मेची अंतर-राज्य लिंक और बैराज, नदी प्रदूषण उन्मूलन और सिंचाई परियोजनाओं सहित कई अन्य योजनाओं के लिए ₹11,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार देश भर में महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। इसके लिए महिलाओं के नेतृत्व में होने वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में ₹3 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री शाह ने कल्याण-उन्मुख बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को श्रेय देते हुए कहा कि यह बजट लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और विश्वास को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बजट युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, साथ ही किसानों के लिए कई अवसर प्रदान करता है, एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह बजट आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने और देश में व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।■

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत शरणार्थियों को मिली नागरिकता

जो पहले शरणार्थी कहलाते थे, वे आज से भारत माता के परिवार में शामिल हो गए हैं: श्री अमित शाह

ब्यूरो

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को एक परिवर्तनकारी कदम बताते हुए 18 अगस्त को अहमदाबाद, गुजरात में 188 शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए।

अपने संबोधन में श्री शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का प्रयोजन केवल देश में बसने वाले वंचितों को नागरिकता देना नहीं है, बल्कि उन्हें न्याय और अधिकार देना है। वर्ष 1947 से 2014 तक, इस देश में शरण लेने वाले लोगों के अधिकार और न्याय का उल्लंघन हुआ। जो शरणार्थियों के सामने आई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है। इन व्यक्तियों ने धार्मिक उत्पीड़न का बोझ सहा है, न केवल अपने देशों में, बल्कि भारतीय सीमाओं के भीतर भी। जहां अक्सर उनकी गरिमा और अधिकार छीन लिए गए। उन्होंने कहा कि कई पीढ़ियों से ये शरणार्थी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिन्होंने अपने परिवारों और आजीविकाओं को खोया है। यह कानून शरणार्थियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों का समाधान कर रहा है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम को वर्ष 2019 में लागू किया गया। पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन शामिल हैं, के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है।

वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने इस कानून को पास करने के लिए निर्णायक कदम उठाया। हालांकि इसके पास होने के बाद हिंसा के कुछ उदाहरण सामने आए, लेकिन केन्द्र सरकार ने वर्ष 2024 में योग्य आवेदकों को नागरिकता और प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवश्यक नियम सफलतापूर्वक लागू किए।

कानून के बारे में फैली भ्रांतियों का खंडन करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस कानून में किसी से नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है; यह नागरिकता देने का कानून है। यह सुधार केन्द्र सरकार की इस प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि जो लोग अपने आत्मसम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भाग गए, उन्हें

नागरिकता संशोधन अधिनियम का प्रयोजन केवल देश में बसने वाले लाखों लोगों को नागरिकता देना नहीं है, बल्कि इन शरणार्थियों को न्याय और अधिकार देना है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

नागरिकता की गरिमा दी जाए।

केंद्रीय गृह मंत्री ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के महत्व पर जोर दिया, जो शरणार्थियों के बीच ऐतिहासिक विभाजन को पाटने में मदद करेगा। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि कानून पास होने के बाद भी, इन परिवारों को 2024 तक नागरिकता नहीं मिली, क्योंकि देश में दंगे और गलत जानकारी फैली थी। उन्होंने शरणार्थियों को आत्मविश्वास के साथ नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री अमित शाह ने कहा कि यह कानून शरणार्थियों को न्याय देने और उन्हें वह सम्मान प्रदान करने का कार्य करेगा जिसके वे हकदार हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री के संबोधन ने इन समुदायों के प्रति हुए अत्याचारों के लिए स्वीकार्यता और क्षमा की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। श्री शाह ने कहा कि इस कानून में किसी भी आपराधिक मुकदमे का प्रावधान नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि नागरिकता देने में देरी सरकार के कारण हुई थी, न कि लोगों के कारण।

केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के दृष्टिकोण के संदर्भ नागरिकता संशोधन अधिनियम के व्यापक निहितार्थों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लगातार लोकतंत्र को प्रभावित करने वाली चार गंभीर समस्याओं: को समाप्त करने के लिए काम किया है। ये समस्याएं हैं- भाई-भतीजावाद, जातिवाद, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार। उन्होंने आगे कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम इस बड़े ढांचे में परिपूर्ण है, क्योंकि यह लंबे समय से हाशिए पर मौजूद लोगों को आवाज और अधिकार प्रदान करने का प्रयास करता है।

श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के उन प्रयासों पर जोर दिया, जिनके तहत ऐतिहासिक अन्याय झेलने वाले धार्मिक स्थलों और समुदायों की गरिमा बहाल की जा रही है। जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ तथा उज्जैन में महाकाल लोक के महत्वपूर्ण मंदिरों का पुनर्स्थापन। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 का उन्मूलन और तीन तलाक का समाप्त होना सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ऐतिहासिक शिकायतों को सुधारने और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की पुष्टि करेगा। जैसे-जैसे केन्द्र सरकार आगे बढ़ती है, ठीक वैसे-वैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम केवल एक कानूनी प्रावधान के रूप में नहीं, बल्कि न्याय, सम्मान और भारतीय समाज में एक उचित स्थान की खोज कर रहे अनगिनत शरणार्थियों के लिए आशा की किरण बनेगा।

इस ऐतिहासिक सुधार के माध्यम से, केन्द्र सरकार यह पुन: पुष्टि करती है कि किसी भी पृष्ठभूमि के प्रत्येक व्यक्ति के साथ गरिमामय और सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाएगा।

यह कानून न्याय और सम्मान देने के लिए काम करेगा और शरणार्थियों पर हुए अत्याचारों का प्रायश्चित होगा।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

जम्मू-कश्मीर में प्रयास के साथ हो रही प्रगति

ब्यूरो

अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण की पांचवीं वर्षगांठ के अवसर पर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस निर्णय को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। उनका कहना है कि यह निर्णय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। न केवल इन क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आई है, बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक सुधारों का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।

5 अगस्त को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राष्ट्र के इतिहास और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत का जश्न मनाया गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि निरस्तीकरण का मतलब यह था कि भारत के संविधान को, जिसे हमारे संविधान का मसौदा तैयार करने वाले महान पुरुषों और महिलाओं ने दूरदर्शिता के साथ तैयार किया था, अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अक्षरशः लागू किया गया है।

प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सुरक्षा, सम्मान और अवसर आए जो विकास के लाभ से वंचित थे। साथ ही, इसने यह सुनिश्चित किया है कि दशकों से जम्मू-कश्मीर में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर रखा गया है। प्रधानमंत्री, श्री मोदी ने कहा, 'मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वासन देता हूं कि केंद्र सरकार उनके लिए काम करती रहेगी और आने वाले समय में उनकी सभी आकांक्षाओं को पूरा करेगी।'

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री की

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की पांचवीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने इसके परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए निर्णय की सराहना की।

वर्ष 2023 में रिकॉर्ड संख्या में 2 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर घाटी पहुंचे

भावनाओं को दोहराया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट एक बयान में कहा कि आज ऐतिहासिक पांच साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में धारा 370 को हटाया गया। इस परिवर्तनकारी निर्णय ने हाशिए पर मौजूद वर्गों के सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की है और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया है। क्षेत्र के युवा सामाजिक-आर्थिक विकास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे शांति और व्यापक विकास को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार के प्रयास सफल हो रहे हैं। हम इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए श्री मोदी को धन्यवाद देते हैं और क्षेत्र की आकांक्षाओं और परिवर्तनकारी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए अपने समर्पण की पुष्टि करते हैं।

अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण ने जम्मू-कश्मीर के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है, जिससे विकास, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक आयामों में व्यापक बदलाव आए हैं। पत्थरबाजी और संगठित हमलों की एक बार की आम घटनाओं को काफी हद तक रोक दिया गया है, जिससे एक अधिक स्थिर और सुरक्षित वातावरण बन गया है। पिछले दस सालों में यहां आतंकी घटनाओं में 70 फीसदी की कमी देखी गई है। इसमें 80 फीसदी की कमी नागरिकों की मृत्यु में भी हुई है। गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों के निवासियों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी विकास में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध किया है। ■

उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कार

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस वर्ष 1,037 कर्मियों को उनकी वीरता तथा उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इसमें पुलिस, अग्निशमन सेवा , होम गार्ड और सिविल डिफेंस तथा सुधार सेवाओं के कमी शामिल हैं।

ब्यूरो

देश का पुलिस बल एक सशक्त और दृढ़ स्तंभ के रूप में खड़ा है, जो कठिन और अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में कार्य करते हुए देश की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कठोर प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प के साथ, देश भर के पुलिसकर्मी निरंतर चुनौतियों का सामना करते हैं। साहस दिखाते हुए बार-बार अपनी क्षमता को साबित करते हैं। उनकी समर्पित सेवाओं और साहस के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है।

पुलिसकर्मियों की वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। इसमें राष्ट्रपति का शौर्य पदक, शौर्य पदक, राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक शामिल हैं।

इस वर्ष श्री चदुवु यादैया, जो तेलंगाना पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल हैं, को राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया। उन्हें यह प्रतिष्ठित पदक 25 जुलाई, 2022 को एक डकैती की घटना के दौरान असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए दिया गया है।

इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 213 शौर्य पदक प्रदान किए गए, जिनमें से 208 पुलिसकर्मियों को दिए गए। इनमें जम्मू-कश्मीर पुलिस के 31 सदस्यों को, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस के 17-17 कर्मियों को, छत्तीसगढ़ पुलिस के 15 कर्मियों को, मध्य प्रदेश पुलिस के 12 कर्मियों को शौर्य पदक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा, पंजाब, झारखंड और तेलंगाना के सात-सात कर्मियों को भी यह पदक मिला।

इसके साथ ही, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 52, सशस्त्र सीमा बल के 14, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 10 और सीमा सुरक्षा बल के छह 6 कर्मियों को शौर्य पदक प्रदान किए गए। दिल्ली अग्निशमन सेवा के तीन कर्मियों, झारखंड अग्निशमन सेवा के एक कर्मी और उत्तर प्रदेश होम गार्ड और सिविल डिफेंस के एक कर्मी को भी शौर्य पदक से सम्मानित किया गया है। 94 राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक में से 75 पुलिस सेवा को, आठ अग्निशमन सेवा को, आठ सिविल डिफेंस एवं होम गार्ड सेवा को और तीन सुधार सेवा कर्मियों को दिए गए। 729 सराहनीय सेवा पदक में से 624 पुलिस सेवा, 47 अग्निशमन सेवा, 47 सिविल डिफेंस एवं होम गार्ड सेवा और 11 सुधार सेवा कर्मियों को प्रदान किए गए हैं।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, और सुधार सेवा के उन सभी कर्मियों को मेरी हार्दिक बधाई, जिन्हें वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित किया गया है। उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किए गए इस सम्मान से हमारी सुरक्षा प्रणाली को और भी सशक्त बनाने के साथ-साथ नए उत्साह का संचार होगा। मेरी शुभकामनाएं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए सदैव उनके साथ हैं।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

विकसित व समृद्ध लद्दाख के निर्माण के विजन को साकार करने की दिशा में

5 नए ज़िलों का गठन करना एक महत्वपूर्ण कदम

ब्यूरो

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के विजन को साकार करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में पांच नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। इस पहल से प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विकास क्षेत्र के हर हिस्से तक पहुंचे। यह केंद्र सरकार की लद्दाख के विकास को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जबकि इसकी प्राकृतिक सुंदरता और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को भी संरक्षित करता है।

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने 26 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में पांच नए जिलों—जंस्कार, द्रास, शम, नुब्रा और चांगथांग—बनाने की बात की। इस निर्णय का उद्देश्य स्थानीय प्रशासन को मजबूत करना है, ताकि सरकारी योजनाएं सीधे जनता तक पहुंच सकें। इन पांच जिलों के जुड़ने से अब लद्दाख में कुल सात जिले होंगे, जिनमें लेह और कारगिल भी शामिल हैं।

लद्दाख का विशाल भौगोलिक विस्तार, उसकी कम जनसंख्या और कठिन भूभाग के कारण मौजूदा जिला प्रशासन के लिए जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचना मुश्किल था। इन नए जिलों के गठन से इस समस्या का समाधान होगा, जिससे केन्द्र सरकार और लद्दाख प्रशासन की जनकल्याण योजनाएं अधिक सुलभ बन सकेंगी। इस कदम से लद्दाख के समग्र विकास में तेजी आने की उम्मीद है, विशेषकर पर्यटन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा।

> **प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के दृष्टिकोण के तहत, गृह मंत्रालय ने संघ प्रदेश में पांच नए जिलों का निर्माण किया है। ये नए जिले प्रशासन को मजबूत करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि विकास क्षेत्र के हर हिस्से तक पहुंचे।**
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए जिलों के लिए 'सैद्धांतिक मंजूरी' भी दी है और लद्दाख प्रशासन को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है, जो जिला मुख्यालय, सीमाओं, ढांचे और अन्य तार्किक पहलुओं से संबंधित विवरणों का आकलन करेगी। समिति को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बाद अंतिम प्रस्ताव को आगे की कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा।

केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों के लिए अपार संभावनाओं को साकार करने और उनके आर्थिक प्रगति और दीर्घकालिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था।

सुरक्षा के लिए संकल्पित है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो

ब्यूरो

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 5 से 11 अगस्त तक दूसरे विमानन सुरक्षा संस्कृति सप्ताह 2024 के सफलतापूर्वक संचालन के लिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की प्रशंसा की।

7 अगस्त को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह उत्सव, जो हमारी विमानन सुरक्षा संस्कृति को निखारता है, एक बेहतर और सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मैं हमारे हवाई अड्डों और हवाई क्षेत्र की सुरक्षा में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए ब्यूरो की सराहना करता हूं। यह सप्ताह विमानन सुरक्षा में निरंतर सतर्कता और उत्कृष्टता को प्रेरित कर सकता है।

विमानन सुरक्षा संस्कृति सप्ताह 2024 में भारत के हवाई अड्डों पर उत्साहपूर्वक भागीदारी देखी गई। इस वर्ष का मुख्य विषय 'सुरक्षा चौकियों पर यात्रियों द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं का विनिवेश' था, जिसका उद्देश्य यात्रियों और गैर-सुरक्षा कर्मियों के बीच सुरक्षा प्रोटोकॉल की समझ को बढ़ाना था। इस आयोजन के तहत मैराथन, बैंड डिस्प्ले, क्विज प्रतियोगिताएं और पेंटिंग प्रतियोगिताएं जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य प्रभावी विनिवेश प्रथाओं को बढ़ावा देना था।

इस पहल में बीसीएएस की भूमिका उसके व्यापक कार्यों को दर्शाती है, जिसमें हवाई अड्डे और एयरलाइन ऑपरेटरों के लिए विमानन सुरक्षा मानक स्थापित करना, सुरक्षा नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना, सुरक्षा कर्मियों के लिए उचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करना और विमानन सुरक्षा मामलों का समन्वय करना शामिल है। मजबूत भागीदारी और सकारात्मक प्रतिक्रिया सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा अनुभव के लिए विमानन समुदाय और जनता की चल रही प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

बीसीएएस का उद्देश्य गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के खिलाफ नागरिक उड्डयन संचालन की सुरक्षा करना है। नवीनतम जानकारी के अनुसार, ब्यूरो ने अपहरण और नागरिक उड्डयन संचालन में गैर-कानूनी हस्तक्षेप के अन्य कृत्यों से उत्पन्न होने वाली आपात स्थितियों से निपटने के लिए आकस्मिक योजनाएं विकसित की हैं। इसके अलावा, बीसीएएस प्रत्येक हवाई अड्डे पर एक हवाई अड्डा समिति की स्थापना का प्रावधान करता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति, जैसे कि सुरक्षा खतरे, आतंकवाद, अपहरण, विमान की गैरकानूनी जब्ती आदि के घटित होने पर संकट

सिविल एविएशन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) का लक्ष्य नागरिक उड्डयन संचालन को अवैध हस्तक्षेप से सुरक्षित रखना है। इसने अपहरण और अन्य अवैध हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न आपात स्थितियों से निपटने के लिए आकस्मिक योजनाएं विकसित की हैं।

प्रबंधन प्रक्रियाएं तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। बदलते सुरक्षा परिदृश्य में सभी संबंधित प्राधिकारियों को परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आकस्मिक योजना को उपयुक्त रूप से संशोधित और जारी किया गया है। सरकारी जानकारी में कहा गया है कि आकस्मिक योजना की दक्षता और संबंधित एजेंसियों की परिचालन तैयारियों का परीक्षण करने के लिए हवाई अड्डों पर नियमित रूप से मॉक अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

नए आपराधिक कानूनों से चलने वाला क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफार्म

सीएफएसएल, चंडीगढ़ में ई-साक्ष्य, ई-समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति को लॉन्च करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह।

ब्यूरो

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह द्वारा 4 अगस्त को चंडीगढ़ में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए डिजाइन किए गए तकनीकी उपकरणों के सूट के लॉन्च के दौरान चार प्रमुख अनुप्रयोगों का अनावरण किया गया। ये अनुप्रयोग हैं: ई-साक्ष्य, ई-समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति।

1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 प्रभावी हुए।

अपने संबोधन में, केंद्रीय गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में तकनीकी प्रगति की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन कानूनों को जमीन पर लागू किया जाए, हमें अपने सिस्टम की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है।' उन्होंने कहा कि नए उपकरणों का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को सुव्यवस्थित करना है।

इस कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। ई-एविडेंस प्लेटफॉर्म अपराध स्थलों से संबंधित सभी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और गवाही को सुरक्षित रूप से संग्रहित करेगा। त्वरित न्याय सुनिश्चित करते हुए डेटा अदालत में तुरंत उपलब्ध होगा। ई-समन प्रणाली पुलिस स्टेशनों और प्राप्तकर्ताओं को अदालती समन के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की अनुमति देती है, जिससे कानूनी प्रक्रिया सरल और तेज हो जाती है। न्याय सेतु डैशबोर्ड पुलिस, चिकित्सा, फोरेंसिक, अभियोजन और जेल सेवाओं को जोड़ता है, एक क्लिक के साथ सभी जांच संबंधी जानकारी का व्यापक दृश्य प्रदान करता है। न्याय श्रुति एप्लिकेशन अदालतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूर से गवाहों को सुनने में सक्षम बनाएगी, जिससे व्यक्तिगत सुनवाई से जुड़े समय और लागत में कमी आएगी।

> **कानूनों के सम्पूर्ण क्रियान्वयन के बाद पूरे विश्व में सबसे आधुनिक और टेक्नोलॉजी से युक्त क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भारत का होगा।**
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए डिजाइन किए गए तकनीकी उपकरणों का निरीक्षण करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह।

श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने नए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए कई पहल की हैं। जिसमें अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) में प्रगति, स्टेशन हाउस अधिकारियों (एसएचओ) के लिए प्रशिक्षण और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) का एकीकरण शामिल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी इस पूरे ढांचे की आधारशिला बन गई है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ नए आपराधिक कानूनों को शत-प्रतिशत लागू करने वाली देश की पहली प्रशासनिक इकाई बन सकता है। उन्होंने कहा, 'इन प्रगति के साथ, भारत सबसे आधुनिक और प्रौद्योगिकी-संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली बनने की ओर अग्रसर है।'

इन चार प्रमुख अनुप्रयोगों का उद्देश्य भारतीय न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाना है। इन तकनीकी उपायों का समन्वय न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाने में मदद करेगा, और कानूनी प्रक्रियाओं को आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाएगा। भारतीय न्याय प्रणाली में सुधार और प्रभावशीलता के नए मानक स्थापित होंगे, जो न केवल कानून प्रवर्तन को मजबूत करेंगे, बल्कि कानूनी प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी और सुलभ बनाएंगे।

श्री अमित शाह ने आठ राज्यों में फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालयों की स्थापना और आठ अन्य राज्यों में विस्तार की योजना का हवाला देते हुए फोरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। इन विश्वविद्यालयों से सालाना 36,000 से अधिक फोरेंसिक विशेषज्ञ तैयार होने की उम्मीद है।

तकनीकी सुधारों के अलावा, नए आपराधिक कानून सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक टीम द्वारा अनिवार्य दौरे का प्रावधान करते हैं। विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर अभियोजन निदेशक की शुरूआत का उद्देश्य अभियोजन प्रक्रियाओं की कठोर निगरानी सुनिश्चित करना, न्याय प्रणाली की अखंडता और दक्षता को बढ़ाना है।

प्रमुख प्लेटफार्म

- **ई-साक्ष्य:** यह प्लेटफॉर्म अपराध स्थलों से संबंधित सभी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और गवाही को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करेगा। त्वरित न्याय सुनिश्चित करते हुए डेटा अदालत में तुरंत उपलब्ध होगा।
- **ई-समन:** यह प्रणाली पुलिस स्टेशनों और प्राप्तकर्त्ताओं को अदालत के समन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने की अनुमति देती है, जिससे कानूनी प्रक्रिया सरल और तेज हो जाती है।
- **न्याय सेतु:** यह एकीकृत डैशबोर्ड पुलिस, चिकित्सा, फोरेंसिक, अभियोजन और जेल सेवाओं को जोड़ता है। यह एक क्लिक से सभी जांच संबंधी सूचनाओं का व्यापक दृश्य प्रदान करता है।
- **न्याय श्रुति:** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से, यह एप्लिकेशन अदालतों को गवाहों को दूर से सुनने में सक्षम बनाता है, जिससे व्यक्तिगत सुनवाई से जुड़ा समय और लागत कम हो जाती है।

पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी भी और कर्त्तव्य भी

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने अहमदाबाद के निवासियों से नियमित रूप से वृक्षारोपण अभियानों में भाग लेने की अपील की।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों द्वारा देश भर में करोड़ों पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने पिछले तीन वर्षों में पांच करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। इस साल के अंत तक एक करोड़ पौधे और लगाए जाएंगे।

ब्यूरो

वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करना पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पहल में समुदाय की भागीदारी आवश्यक है। जब स्थानीय निवासी वृक्षारोपण के प्रयासों में भाग लेते हैं, तो वे समाज के प्रति एक स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं।

18 अगस्त को अहमदाबाद के थलतेज में 'ऑक्सीजन पार्क' का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में वृक्षारोपण के माध्यम से समुदाय की भागीदारी के महत्व को उजागर किया। उन्होंने 'मिशन 3 मिलियन ट्री स्कीम' के तहत वृक्षारोपण अभियान में भी भाग लिया। यह पहल अहमदाबाद नगर निगम द्वारा 100 दिनों में 30 लाख पेड़ लगाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड स्तर को संबोधित करने की तात्कालिकता को उजागर किया, जिसे उन्होंने दैनिक गतिविधियों जैसे ड्राइविंग, एयर कंडीशनिंग और उच्च ऊर्जा खपत से जोड़ा। उन्होंने अहमदाबाद के निवासियों से अनुरोध किया कि वे अपने समाज, निकटवर्ती खाली प्लॉट और स्कूलों में पेड़ लगाएं।

श्री शाह ने कहा कि हर अहमदाबाद निवासी को एक पेड़ लगाना अनिवार्य बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'हालांकि नगर निगम ऑक्सीजन पार्क और मियावाकी वन बना रहा है, लेकिन नागरिकों के लिए वृक्षारोपण अभियानों में शामिल होना अनिवार्य है। हमारे जीवनकाल में, हमें कई पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम उतनी ही मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकें जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम उत्सर्जित करते हैं।'

गृह मंत्री ने वृक्षारोपण के प्रतीकात्मक स्वरूप को भी उजागर किया। विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई 'एक पेड़ मां के नाम' मुहिम के माध्यम से। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया कि वे

श्री अमित शाह ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत इंदौर में सीमा सुरक्षा बल परिसर में एक पौधा लगाया।

अहमदाबाद में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेते श्री अमित शाह

अपनी माताओं के सम्मान में पेड़ लगाएं, जिससे वृक्षारोपण अभियानों की सांस्कृतिक महत्वता का पुनर्निवेश होता है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 'एक पेड़ मां के नाम' केवल एक नारा नहीं है, यह एक जन आंदोलन है। अपनी माताओं के प्रति आभार व्यक्त करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। हम सभी को एक पेड़ लगाने को अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए। ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और हमें हर पौधे को एक बच्चे की तरह समझना चाहिए जब तक वह हमारी ऊँचाई तक नहीं पहुंच जाता है।

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के इंदौर में सीमा सुरक्षा बल परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाकर एक विशाल वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस पहल के साथ, इंदौर ने एक दिन में सबसे अधिक पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया।

गृह मंत्री श्री शाह के नेतृत्व में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों द्वारा देशभर में करोड़ों पौधे लगाए गए हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने 2020 से 2023 के बीच तीन साल की अवधि में 5.2 करोड़ पौधे लगाए हैं और इस वर्ष के अंत तक देशभर में एक करोड़ और पौधे लगाने का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 'एक पेड़ मां के नाम' का आह्वान केवल एक नारा नहीं है, बल्कि यह एक जन आंदोलन है। अपनी माताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई पहलों की शुरुआत की गई है। पेट्रोल और डीजल में 20% इथेनॉल मिश्रण को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन घटक के अंतर्गत अप्रैल 2018 में जैविक कृषि संसाधन धन (GOBARdhan) योजना की शुरुआत की। उन्होंने 2015 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष की स्थापना भी की, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सक्रिय उपाय किए जा सकें।

गांधीनगर में हुए वृक्षारोपण का आंकड़ें दे रहे गवाही

- **वर्ष 2023-24 में कुल 28,39,831 पौधे लगाये गये जबकि वर्ष 2024-25 में लगभग 67 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से 31 अगस्त तक, 2024 लगभग 54 लाख पौधे लगाये जा चुके हैं।**
- **गांधीनगर जिले में वर्ष 2014-19 के दौरान वन विभाग के अंतर्गत क्षेत्र में वृक्ष घनत्व 59.19 (प्रति हेक्टेयर पेड़) था। यह 2019-2023 के दौरान बढ़कर 64.03 (प्रति हेक्टेयर पेड़) हो गया।**
- **2024-25 में अनुमानित कुल 17 लाख पौधे निःशुल्क वितरित किए गए।**
- **2022-23 और 2023-24 में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कलोल और गांधीनगर तालुका से गुजरने वाली कुल 12 सड़कों के किनारे कुल 13200 पौधे लगाए गए हैं।**

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में बीपीआरएंडडी की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 54वें स्थापना दिवस के अवसर पर इंडियन पुलिस जर्नल के विशेषांक का विमोचन करते केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन, आसूचना ब्यूरो के निदेशक श्री तपन कुमार डेका, ब्यूरो के महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा व अन्य।

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने 28 अगस्त,2024 को नई दिल्ली मुख्यालय पर अपने 54वें स्थापना दिवस का समारोह मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन ने ब्यूरो की भूमिका को लेकर विशेष बातें की। उनका कहना था कि सभी अन्य पुलिस संगठनों को जोड़ने वाला एकमात्र केंद्रीय केंद्रीय पुलिस संगठन के रूप में बीपीआरएंडडी काम कर रहा है।

ब्यूरो

केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो भारतीय पुलिसिंग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शोध, नवाचार और सुधार पर केंद्रित होकर देशभर में पुलिस बलों को आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार और विकसित हो रहे चुनौतियों का समाधान करने में सहायता करता है।

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 54वें स्थापना दिवस समारोह में, जो 28 अगस्त को नई दिल्ली में उसके मुख्यालय पर आयोजित हुआ, गृह सचिव श्री गोविंद मोहन ने पुलिस अनुसंधान और विकास में ब्यूरो के महत्वपूर्ण कार्य और सुधारों की प्रशंसा की। श्री गोविंद मोहन ने 'नए आपराधिक कानून 'नागरिक-केंद्रित सुधार' विषय पर डॉ. आनंदस्वरूप गुप्ता स्मारक व्याख्यान प्रस्तुत किया।

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की स्थापना 1970 में इसके संस्थापक निदेशक, डॉ. आनंदस्वरूप गुप्ता के नेतृत्व में की गई थी। वह भारतीय पुलिस के 1939 बैच के एक प्रतिष्ठित अधिकारी थे, जो पुलिस संचालन के अपने व्यापक अनुभव और समझ के लिए प्रसिद्ध थे।

पुलिस सुधारों में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए, श्री मोहन ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के निर्देशों के तहत, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने नए आपराधिक

कानूनों पर प्रशिक्षण और प्रचार के डिजाइन, निष्पादन और प्रावधान की बहुआयामी चुनौती को स्वीकार किया।

तीन नए आपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं को उजागर करते हुए, केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन ने कहा कि कई नए प्रावधानों जैसे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने पर जोर, सबूत इकट्ठा करने और प्रसंस्करण के लिए अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पेश किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नए आपराधिक कानून पीड़ित-केंद्रित हैं और न्याय प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि केवल दंड देने पर।

केंद्रीय गृह सचिव ने नागरिकों के अनुकूल पहलों का भी उल्लेख किया, जिसमें जीरो-एफआईआर और ई-एफआईआर, समुदाय सेवा का परिचय एक नए प्रकार की सजा के रूप में और पहले अपराधियों के प्रति अधिक उदार दृष्टिकोण शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन कानूनों में फोरेंसिक विज्ञान के उपयोग में वृद्धि, संपूर्ण जांच प्रक्रिया का डिजिटलीकरण और पारदर्शिता, जवाबदेही और मुद्दों के समय पर निवारण में सुधार शामिल हैं।

नए प्रकार के अपराधों के उद्भव पर जोर देते हुए केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन ने कहा कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।

केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन ने कहा, 'यह खुशी की बात है कि ब्यूरो समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विस्तार कर रहा है: बेंगलुरु में एक नया सेंट्रल डेटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सीडीटीआई) स्थापित किया गया है और यह संचालन में आ गया है। यह नई इकाई, जो स्मार्ट पुलिसिंग और शहरी पुलिसिंग के लिए उत्कृष्टता का केंद्र होगी, निश्चित रूप से दक्षिण भारत में स्थित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए बीपीआरएंडडी को प्रेरित करेगी। एक और सीडीटीआई अगरतला में भी कार्यात्मक किया जाएगा, जो दूर-दराज के पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा और यह सीमा पार अपराधों पर ध्यान देने के साथ-साथ इसकी महत्ता भी बढ़ायेगा।

गृह सचिव ने बताया कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की अन्य दूरस्थ इकाइयां, जैसे कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी) भोपाल और सीडीटीआई चंडीगढ़, गाज़ियाबाद, जयपुर, हैदराबाद और कोलकाता में विभिन्न पुलिसिंग क्षेत्रों जैसे ट्रैफिक तकनीक, सुधारात्मक प्रशासन, वर्तमान अपराधों का अध्ययन, संगठित अपराध, साइबर अपराध, सामुदायिक पुलिसिंग, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच, क्षमता निर्माण और अभियोजन पर पुलिस बलों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रही हैं।

डॉ आनंदस्वरूप गुप्ता स्मारक व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन ने यह भी कहा कि प्रशिक्षण, कानूनों के ज्ञान और समझ के क्षेत्रों में बड़े प्रयास किए गए हैं। इन सभी से मुझे और मंत्रालय के मेरे सहयोगियों को गहरी संतोष की भावना मिलती है, और मुझे विश्वास है कि हमारे पास बीपीआरएंडडी के रूप में एक जीवंत संगठन है, जो हमेशा मंत्रालय की आवश्यकताओं को सबसे पेशेवर तरीके से पूरा करने के लिए तैयार है।

श्री मोहन ने संकेत दिया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय डॉक्टरों और चिकित्सा

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में लाए गए तीन नए आपराधिक कानून पीड़ित-केंद्रित हैं और उनका मुख्य उद्देश्य न्याय प्रदान करना है, न कि सजा देना।

श्री गोविंद मोहन, केंद्रीय गृह सचिव

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो मुख्यालय में केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन।

छात्रों की सुरक्षा के लिए एक विशेष व्यवस्था की खोज कर रहा है।

केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि प्रभावी पुलिसिंग, मजबूत कानून-व्यवस्था और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण और उन्नयन में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

गृह सचिव ने 2023-24 के लिए राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक (पीएसएम) और राष्ट्रपति के उत्कृष्ट सेवा पदक (एमएसएम) के प्राप्तकर्ताओं को भी सम्मानित किया। इससे पहले, स्वागत भाषण के दौरान, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक, श्री राजीव कुमार शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के प्रति उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के दौरान, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने कई महत्वपूर्ण पहलों को लॉन्च किया है। हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ब्यूरो के तीन नए आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन की दिशा में किए गए समर्पित प्रयास रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रभागों का योगदान, विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रभाग का योगदान प्रशंसनीय रहा है।

श्री राजीव कुमार शर्मा ने कहा, 'वर्तमान में, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने आपराधिक कानूनों पर 300 से अधिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। इन प्रयासों के माध्यम से, हमने लगभग 27,000 पुलिस कर्मियों, लगभग 4,500 जेल अधिकारियों, लगभग 3,500 अभियोजकों, लगभग 2,700 न्यायिक अधिकारियों, लगभग 2,000 फोरेंसिक विशेषज्ञों और 9,000 से अधिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों को सीधे प्रशिक्षण प्रदान किया है।'

श्री शर्मा ने कहा कि बीपीआरएंडडी के राष्ट्रीय पुलिस मिशन (एनपीएम) प्रभाग ने विभिन्न माइक्रो मिशनों के तहत 66 परियोजनाएं और 17 मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) पूरी की हैं, जिनमें सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस की छवि और धारणा प्रबंधन, सक्रिय पुलिसिंग, भविष्य की चुनौतियों की कल्पना, लैंगिक मुद्दे और संचार एवं प्रौद्योगिकी के विषय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 42वीं संसदीय स्थायी समिति के निर्देशों के अनुरूप, एनपीएम प्रभाग ने एनडीपीएस से संबंधित मामलों के लिए एक मॉडल एफआईआर विकसित की है। इसके साथ ही एसओपी और दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं।

पुलिस ब्यूरो ने अन्य संसाधनों के अलावा एसओपी, ई-मॉड्यूल, स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) के लिए एक पुस्तिका और पुराने और नए आपराधिक कानूनों का तुलनात्मक सारांश भी विकसित किया है। यह नए आपराधिक कानूनों के प्रचार के लिए अंतर-मंत्रालयी समूह के प्रयासों का समन्वय कर रहा है। परियोजना निगरानी एजेंसी की स्थापना के साथ ही अब ब्यूरो मुख्यालय विभिन्न अन्य पहलों के साथ-साथ नए कानूनों के लिए 24X7 राष्ट्रीय नियंत्रण कक्ष भी संचालित करता है। केंद्रीय गृह सचिव ने बीपीआरएंडडी के प्रमुख प्रकाशन, इण्डियन पुलिस जर्नल के एक विशेषांक का लोकार्पण किया, जो तीन नए आपराधिक कानून पर केंद्रित है। इस विशेषांक को ब्यूरो के विशेष प्रोजेक्ट प्रभाग की ओर से तैयार किया गया है।

इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा उप-सलाहकार श्री पंकज कुमार सिंह, आसूचना ब्यूरो के निदेशक श्री तपन कुमार डेका, केंद्रीय गृह मंत्रालय (पुरस्कार), सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, आरपीएफ, एनएचआरसी, एनटीआरओ, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के महानिदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के निदेशक, दिल्ली पुलिस के आयुक्त उपस्थित थे। इसके साथ ही पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के पूर्व महानिदेशक सहित ब्यूरो संस्थापक निदेशक डॉ. आनंदस्वरूप गुप्ता के परिजन, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की निगरानी करने वाले नोडल अधिकारी, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण प्रमुख भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। ■

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के मुख्यालय में केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन के साथ ब्यूरो के अधिकारिगण।

राष्ट्रीय प्रगति के लिए विकास और देश प्रेम

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय और श्री बंडी संजय कुमार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की समीक्षा बैठक में भाग लिया। इस बैठक का विवरण और तस्वीरें 13 अगस्त को श्री बंडी संजय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर साझा कीं। श्री बंडी संजय कुमार ने बताया कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह के नेतृत्व में हमारे बल देश की सुरक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं।

ब्यूरो

जम्मू-कश्मीर में 12 अगस्त को आयोजित तिरंगा यात्रा ने राष्ट्रीय गौरव और एकता का जीवंत उत्सव प्रस्तुत किया, जो देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की स्थायी भावना को दर्शाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफार्म x पर रिट्वीट करते हुए तिरंगा यात्रा का समर्थन किया। उन्होंने इस यात्रा के प्रति जम्मू-कश्मीर के लोगों की भावना को सभी के लिए प्रेरणादायक बताया।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने भी श्री सिन्हा के पोस्ट को रिट्वीट करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में तिरंगा यात्रा देशभक्ति की भावना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। उन्होंने सभी से 'हर घर तिरंगा' अभियान में भाग लेने और अपनी तिरंगा के साथ सेल्फी को http://HarGharTiranga.com पर साझा करने का आग्रह किया।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार और श्री नित्यानंद राय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की समीक्षा बैठक में भाग लिया। श्री कुमार ने 13 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इस बैठक का विवरण और तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत के सुरक्षा बल राष्ट्र की रक्षा में अत्यधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं।

'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत, श्री बंदी संजय कुमार ने 12 अगस्त को तेलंगाना के करीमनगर में एक तिरंगा यात्रा में भाग लिया। उन्होंने नागरिकों को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित भी किया। 11 अगस्त को, उन्होंने करीमनगर में दिल्ली डिफेंस अकादमी द्वारा आयोजित 'फ्रेशर्स डे' कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने सेना, नौसेना और वायुसेना में करियर बनाने वाले छात्रों की प्रतिबद्धता की सराहना की और इसे एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बताया। 2 अगस्त को, श्री कुमार ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित 'गवर्नर्स-2024' सम्मेलन में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने की।■

सुरक्षित और विकसित राष्ट्र का खाका

डॉ. अजय भूषण पांडे

आम बजट 2024-25 भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिसमें देश के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और इसे विश्व के सबसे विकसित देशों की श्रेणी में स्थापित करने का लक्ष्य है। यह बजट मात्र संख्याओं का संकलन नहीं है, बल्कि यह एक उभरते हुए भारत की आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को मूर्त रूप देने वाला दस्तावेज है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सोच और उनके मार्गदर्शन में, केंद्रीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इसे प्रस्तुत किया। यह बजट भविष्य को ध्यान में रखकर एक सशक्त एजेंडे को स्पष्ट करता है, जिसमें नौ प्रमुख प्राथमिकताएं शामिल हैं। ये प्राथमिकताएं प्रत्येक नागरिक के लिए पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं, जिससे देश को विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाया जा सके। इसके तहत कृषि में उत्पादकता और सहनशीलता को बढ़ाना, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना, विनिर्माण तथा सेवाओं को आगे बढ़ाना, शहरी विकास को गति देना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, अवसंरचना का विस्तार करना, नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने सहित अगली पीढ़ी के सुधारों को लागू करना है।

उल्लेखनीय है कि अवसंरचना क्षेत्र के लिए किए गए महत्वपूर्ण घोषणाएं, जो बजट के आधार स्तंभ के रूप में कार्य करती हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूंजी व्यय के लिए ₹11,11,111 करोड़ का एक बड़ा आवंटन, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत है, समर्पित किया गया है। यह साहसी निवेश सतत आर्थिक विकास की नींव रखेगा। भारत की अवसंरचना न केवल वर्तमान मांगों को पूरा करती है, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार है, जो राष्ट्र के व्यापक विकास लक्ष्यों के साथ मेल खाती है।

भारत के समृद्ध राष्ट्र बनने की यात्रा के लिए मजबूत अवसंरचना महत्वपूर्ण है। एक पूर्ण आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एक अपरिहार्य स्तंभ बनी हुई है। बजट में दोनों को प्राथमिकता दी हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय के लिए ₹2,19,643.31 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार केंद्रीय पुलिस बलों पर विशेष जोर दिया गया है। पुलिस बलों के लिए संसाधनों और अवसंरचना को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने में आधुनिकीकरण, साइबर सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और फोरेंसिक विज्ञान क्षमताओं में निवेश शामिल है। यह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण को भी बढ़ावा देगा।

बजट में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के लिए ₹96,950.12 करोड़ का महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। यह वित्तीय प्रतिबद्धता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, असम राइफल्स और सशस्त्र सीमा बल के प्रशासनिक व्यय को कवर करती है। प्रशासनिक जरूरतों के अलावा, यह आवंटन बलों के आधुनिकीकरण के लिए अवसंरचना, मशीनरी, उपकरण और मोटर वाहनों को उन्नत करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आतंकवाद विरोधी प्रयासों, उग्रवाद प्रबंधन और देश की सीमाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।

यह बजट खुफिया एजेंसियों को भी प्राथमिकता देता है। आसूचना ब्यूरो (IB) को इसके परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ₹3,823.83 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID) के लिए ₹198.53 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड आतंकवाद से लड़ने के लिए डेटाबेस को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे आंतरिक सुरक्षा खतरों के प्रति तेज और समन्वित प्रतिक्रिया की सुविधा मिलती है। इसके अलावा सीमा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए ₹3,756.51 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसका विशेष ध्यान सीमाओं के साथ निगरानी और सुरक्षा को बढ़ाने पर है।

महिलाओं की सुरक्षा संघ सरकार के एजेंडे का एक महत्वपूर्ण आधार बनी हुई है, जिसे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए गए पहलों के लिए ₹1,105 करोड़ के आवंटन द्वारा रेखांकित किया गया है। यह फंड निर्भया फंड को सुदृढ़ करता है और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकने, महिलाओं के हेल्पडेस्क स्थापित करने और मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का समर्थन करता है। इसके अलावा बजट आवंटन केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (CFSLs) के उन्नयन और राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटा केंद्र के निर्माण के साथ फोरेंसिक विज्ञान क्षमताओं को काफी बढ़ाएगा।

यह बजट विकास के मुख्य प्रेरकों पर जोर देता है, जैसे रोजगार, युवा सशक्तिकरण और ग्रीन एनर्जी। ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता राष्ट्रीय प्रगति के केंद्रीय तत्व हैं, जिसमें पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना एक करोड़ घरों तक मुफ्त बिजली—300 यूनिट तक प्रतिमाह—छत पर सौर स्थापनाओं के माध्यम से प्रदान करने के लिए तैयार है। यह पहल सरकार की ग्रीन एनर्जी के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसे सौर, पवन और जलविद्युत परियोजनाओं में निवेश द्वारा समर्थित किया गया है।

यह बजट 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जिन योजनाओं और नीतियों का वर्णन किया गया है, वे न केवल राष्ट्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिजाइन की गई हैं, बल्कि भारत को उस राष्ट्र के करीब लाने के लिए भी हैं, जिसकी हम आकांक्षा करते हैं।■

(लेखक पूर्व वित्त सचिव, भारत सरकार एवं वर्तमान में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष।)

पहली बार 'महिला पर्वतारोहण अभियान' का आयोजन सीमा सुरक्षा बल ने माउंट मुकुट ईस्ट (7130 मीटर) के लिए किया है। यह अभियान 5 अगस्त से 15 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य 'माउंट मुकुट ईस्ट' पर राष्ट्रीय तिरंगा और सीमा सुरक्षा बल का ध्वज फहराना है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

वृक्षों की रक्षा करेंगे, तभी हरेक का जीवन अच्छा होगा। हरियाली हर किसी के लिए जीवनउपयोगी और नितांत जरूरी है। इस बात को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने चरितार्थ किया है। 22 बटालियन आईटीबीपी गर्व के साथ वन विभाग के साथ मिलकर मेहरौली में वृक्षारोपण अभियान में शामिल हो रहा है। यकीनन यह पहल हरे-भरे भविष्य का निर्माण करेगी।

हाल ही में केरल के जिला वायनाड, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुआ है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एएसजी कालीकट के कर्मियों ने वायनाड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को स्वेच्छा से राहत सामग्री का योगदान दिया। राहत सामग्री वायनाड के मेप्पडी राहत शिविर में जिला कलेक्टर को सौंप दी गई है।

भारत के वीर

देश के जवानों को श्रद्धांजलि और समर्थन https://bharatkeveer.gov.in

दिशा-निर्देश

- आप सीधे भारत के वीर के खाते में (अधिकतम ₹15 लाख तक) दान कर सकते हैं या भारत के वीर कोष में दान कर सकते हैं।
- अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, प्रति वीर ₹15 लाख की सीमा तय की गई है और यदि राशि ₹15 लाख से अधिक है तो दाता को सतर्क किया जाएगा, ताकि वे या तो अपने योगदान को कम करने या योगदान के हिस्से को किसी अन्य भारत के वीर के खाते में डालने का विकल्प चुन सकें।
- भारत के वीर फंड का प्रबंधन प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समान संख्या में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो आवश्यकता के आधार पर भारत के वीर परिवार को समान रूप से फंड वितरित करने का निर्णय लेंगे।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के लिए फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित व विबा प्रेस प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले दस वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास का स्वर्णिम युग देखा है। बजट 2024-25 बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक व्यापक पहल के साथ इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है।

श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037